



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169972

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8242/2026

रवि शर्मा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : विपिन गंगवार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 181 वर्ष 2025, धारा 64(2)(एम), 316(2), 61(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता का यह स्वीकृत प्रकरण है कि वह लगभग 38 वर्ष की वयस्क महिला थी और पिछले एक माह से आवेदक के संपर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के मध्य सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है और उनके बीच संबंध खराब हो जाने पर दर्ज कराई गई। पीड़िता का कथन लगातार बदलता रहा है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और वह अभियोजन के प्रकरण में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एक विवाहित महिला है और उसने अपने पति से कोई विधिक तलाक नहीं लिया है। आवेदक वर्तमान पीड़िता के पुत्र के मित्रों में से एक है। पीड़िता एवं आवेदक किराये के आवास में साथ रहते थे और पीड़िता ने आवेदक की वास्तविक पहचान अपने पड़ोसियों से छिपाई तथा उसका परिचय अपने भतीजे के रूप में कराया।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि लगभग एक माह की पूरी अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में पूरी तरह मौन बनाए रखा और तब तक कुछ नहीं कहा, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो गया कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध तथा उसके पश्चात एक माह तक जारी रहे संबंध के बीच का लंबा अंतराल और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तक संबंध का जारी रहना यह स्पष्ट करता है कि यह प्रकरण प्रेम संबंध से संबंधित है। संबंध खराब हो जाने पर पीड़िता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्कों के मध्य सहमति से स्थापित संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया।

7- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य, (2020) 5 SCC 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचकर निकलने, जैसे कि देश छोड़ने, आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय बिंदुओं द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

9- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित प्रक्रिया के रूप में की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन का अनुपालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10- **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 398** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहां किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंधों को लंबे समय तक जानते-बूझते बनाए रखा जाता है, वहां यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल कथित विवाह के वादे के कारण ही स्थापित किया गया था। किसी महिला के पास विवाह के वादे के अतिरिक्त पुरुष साथी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11- **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना से परे है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिकायतकर्ता अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ लंबे समय तक संपर्क या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12- इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में टिप्पणी की कि अनेक अवसरों पर ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें असफल या टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रूप दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं प्रकरणों में लगाया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, बल प्रयोग अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक खराब हुए संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे प्रकरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जो पहले से ही भारी कार्यभार का सामना कर रही है, और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

13- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2025 (4) SCC 197** में अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसकी प्रकृति से पूर्णतः अवगत होते हुए स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है और यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्यों की गलत धारणा अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, वहां उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के अंतर्गत दायर किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी और उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन मुकदमों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, जो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमति से स्थापित संबंधों में विवाद एवं मतभेद अथवा भविष्य में विचार बदल जाने के कारण उत्पन्न होते हैं और जो बाद में कटु हो जाते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि यदि दो स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्क दीर्घकाल तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति से संबंध स्थापित किया था और बाद में विवाह का वादा पूरा न किया जाना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019) 9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608** में अभिनिर्धारित किया कि जहां विवाह करने का वादा झूठा है और वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय ही उसे पूरा करने की मंशा नहीं थी, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध स्थापित करने के लिए सहमत करना उसका उद्देश्य था, वहां तथ्यों की ऐसी "गलत धारणा" होती है, जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है। तथापि, केवल वादे का उल्लंघन मात्र झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वादे को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि वादा करने वाले व्यक्ति की वादा करते समय ही अपनी बात पर कायम रहने की कोई मंशा नहीं थी।

17- **सोनु @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एससीसी 517** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही को निरस्त कर दिया, यह देखते हुए कि अभियुक्त एवं पीड़िता के बीच संबंध सहमति पर आधारित था और पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा बाद में अभियुक्त ने अभियोजिका से विवाह करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

18- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

19- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदक-**रवि शर्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

20- उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न करने अथवा उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला